## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 35/2009**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| रावताराम पुत्र पूनमाराम जाति मीणा निवासी पलासिया तहसील आहोर | 1 | जोताराम पुत्र अकाजी जाति मीणा निवासी रसीयावास तहसील आहोर |
| | 2 | राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आहोर |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 24 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0**

उपस्थित :–
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

**–: आदेश :–**

दिनांकः– 16.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 24 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर दस्तावेजात् को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि पूर्व में देवाराम की खातेदारी भूमि थी तथा देवाराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में किया जा चुका था। इसके पश्चात देवाराम द्वारा पुनः उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान की गई। उक्त बेचान दस्तावेज को खारिज कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय जालोर में वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में साक्ष्य में विचाराधीन है। उक्त वाद में जो दस्तावेज पेश किये थे, उन दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रतिलिपीयों को रेकर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया कि जोताराम द्वारा जिस विक्रय विलेख के आधार पर खातेदारी घोषित कराने की इस्तदुआ चाही गई है, वह विक्रय विलेख माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्नांकित है। इस कारण उक्त दस्तावेज इस अपील में सुसंगत होने के कारण रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर सही तथ्यों को छुपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो देरीना

प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट द्वारा जिन दस्तावेजात् को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है, उन दस्तावेजात् की जानकारी अपीलाण्ट को काफि वर्षो पूर्व से ही रही है, किन्तु जानबूझकर इन दस्तावेजात् को प्रस्तुत नहीं किया गया। ये दस्तावेज शुरू से ही अपीलाण्ट के पॉवर एवं पज़ेशन में है। इन दस्तावेजात् का हस्तगत अपील से कोई सरोकार नहीं है एवं न ही उक्त दस्तावेज इस अपील में सुसंगत है। इस कारण इन दस्तावेजात् को रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा जिन दस्तावेजात् को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है, वे दस्तावेज माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय जालोर के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी प्रस्तुत वाद बाबत दस्तावेज निरस्त कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने ककी प्रमाणित प्रतिलिपी है, जो वाद वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें देवाराम द्वारा जोताराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। उक्त वाद में प्रस्तुत जवाबदावा, तनकीयात आदि की प्रतियों को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन दस्तावेजात् के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, उस दस्तावेज को अपीलाण्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, जो जैर अपील आदेश पारित होने के पश्चात दावा प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 27 के तहत सुसंगत दस्तावेजात् की श्रेणी में आने से समुचित न्याय निर्णयन में सहायक प्रतीत होने के कारण रेकर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 24 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् को रेकर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 15.5.18 को पेश हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर